कार्यालय जिला कलक्टर (आ.प्र.एवं सहा.) जालोर

क्रमांकः/एफ 10( )आ.प्र.एवं सहा./2022/4375 दिनांकः–04.11.2022

–:: प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ::–

अधीक्षण अभियन्ता सानिवि वृत, जालोर के पत्रांक 1159 दिनांक 23.08.2022 से सानिवि खण्ड, भीनमाल व सांचोर की सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (सा.नि.वि. सड़कों) के तात्कालिक मरम्मत के प्रस्ताव अनुशंषा सहित प्राप्त होने पर मानसून वर्ष 2022 (संवत् 2079) हेतु मानसून अवधि वर्ष 2022 (संवत् 2079) में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (सा.नि.वि.सड़कों) की तात्कालिक मरम्मत/पुनरुत्थान हेतु आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.वि. जयपुर को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01.09.2022 में अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 3718 दिनांक 02.09.2022 से भेजे गए प्रस्तावों पर विभाग द्वारा जरिये पत्रांकः एफ 8(05)आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/2022/12646–654 दिनांक 03.11.2022 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सं.– 67/2022–23 की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से निम्नलिखित मरम्मत कार्यो की उनके आगे अंकित राशि अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त कार्यो के लिए कार्यकारी एंजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगीः–

क्र.सं.	सा.नि.वि. खण्ड	तहसील क्षेत्र	कुल क्षतिग्रस्त सडकों की संख्या	तात्कालिक मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	भीनमाल	जसवंतपुरा	51	120.32
2.	सांचोर	चितलवाना	85	245.97
	योग		136	366.29

अक्षरे रुपये तीन करोड़ छयासठ लाख उनतीस हजार मात्र

उक्त व्यय बजट मद 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहते 02–बाढ चक्रवात आदि 106–खराब सडको तथा पूलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना (08)–(बाढ क्षैत्र में खराब सड़कों तथा पूलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना) [01]–[सडकों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना] 21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय सहायता 75% तथा राज्य सहायता 25%) प्रतिबद्ध के अन्तर्गत वहन किया जावेगा।

प्रशासनिक स्वीकृति की प्रमुख शर्तें :–

1- वि0ले0 नियमों, एवं एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 के तहत भारत सरकार से जारी संशोधित नियम/नॉर्म्स दिनांक 8.4.2015 तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करेंगे।
2- विभाग द्वारा Per km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया गया है अतः सा.नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के रेस्टोरेशन पर न करें।
3- यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वे सड़कें जो Defect Liability Period के तहत् आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।।
4- बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
5- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
6- इस स्वीकृति के आधार पर कार्यकारी एजेन्सी तकनीकी स्वीकृति जारी कर तीन दिवस में इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।
7- क्षतिग्रस्त सडकों के रेस्टोरेशन हेतु आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के दिशा निर्देश पत्रांक 9362–63 दिनांक 26.07.2022 तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सं. 67/2022–23 में अंकित शर्तों की पूर्ण पालना की जावे।

(निशान्त जैन)
जिला कलेक्टर
जालोर

क्रमांकः/एफ 10( )आ.प्र.एवं सहा./2022/4376-4387 दिनांकः–04.11.2022

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1- शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2- जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर।
3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर।
4- अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर।
5- अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत, जालोर।
6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
7- उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा/चितलवाना।
8- अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड, भीनमाल/सांचोर को भेजकर लेख है कि सा.नि.वि. खण्ड भीनमाल तह.क्षेत्र जसवंतपुरा के प्रस्तावों में अंकित कार्यों के क्र.सं. 01 पर अंकित कार्य में 10 कि.मी. की राशि रूपये 10.00 लाख की मांग की गई है, जबकि कार्यों के लोकेशन के अनुसार 09 कि.मी. हेतु राशि रूपये 9.00 लाख स्वीकृत किये गये है एवं क्र.सं. 05 पर अंकित ODR सड़क के कार्य को कम करते हुए 52 कार्य हेतु मांग की गई राशि रूपये 124.32 लाख के स्थान पर कुल 120.32 लाख विभाग स्तर से स्वीकृत किये गये है।
9- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर।
10- निजी सहायक, जिला कलेक्टर, जालोर।

प्रभारी अधिकारी
(सहायता),जालोर

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner